छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

Phone No. 0771- 2437309& Fax No. : 0771-2429385

पत्र क्र0/745/समन्वय/2024 रायपुर, दिनांक 25/6/24

द्वितीय मुख्य परीक्षा हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी

सामान्य निर्देश :–

(1) छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा हाईस्कूल परीक्षा (कक्षा 10वी) एवं हायर सेकण्डरी (कक्षा 12वी) की वार्षिक परीक्षा एक शैक्षणिक सत्र में दो बार आयोजित की जायेगी। पहली परीक्षा को प्रथम मुख्य परीक्षा एवं दूसरी परीक्षा को द्वितीय मुख्य परीक्षा से संबोधित किया जायेगा।

(2)द्वितीय मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरना अनिवार्य होगा तथा वे छात्र ही आवेदन भर सकेंगे जो प्रथम परीक्षा में पंजीकृत रहें है तथा उन्हें उसी संस्था से ऑनलाईन परीक्षा आवेदन भरना होगा जिस संस्था में उन्होंने प्रथम मुख्य परीक्षा का आवेदन भरा था।

(3) द्वितीय मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र भरने हेतु माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा पृथक से तिथि निर्धारित की जायेगी।

(4) प्रथम मुख्य परीक्षा में जिन परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम पूरक श्रेणी में रहा है। उन परीक्षार्थियों को पूरक प्राप्त सभी विषयों में आवेदन करना अनिवार्य होगा तथा परीक्षार्थी अन्य विषयों में भी अंक सुधार हेतु आवेदन कर सकते है।

(5) प्रथम मुख्य परीक्षा में जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण है या अनुपस्थित रहें है तो वे परीक्षार्थी द्वितीय मुख्य परीक्षा में आवेदन कर सकते है ऐसी परिस्थिति में उन्हें सभी अनुपस्थित/अनुत्तीर्ण विषयों में आवेदन करना अनिवार्य होगा तथा परीक्षार्थी अन्य विषयों में भी अंक सुधार हेतु आवेदन कर सकते है।

(6) प्रथम मुख्य परीक्षा में परीक्षार्थी का परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण रहता है और वह अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है तो वह द्वितीय मुख्य परीक्षा में अंक सुधार हेतु परीक्षा आवेदन भर सकता है। यह आवश्यक नही है कि परीक्षार्थी सभी उत्तीर्ण विषयों में आवेदन करे, परीक्षार्थी इच्छानुसार एक उत्तीर्ण विषय या दो उत्तीर्ण विषय या अधिक उत्तीर्ण विषयों में आवेदन कर सकते है। द्वितीय मुख्य परीक्षा में परीक्षार्थी जिन विषय/विषयों में अंक सुधार करता है उस विषय/विषयों में बढ़े हुये अंक एवं अन्य विषयों के प्रथम मुख्य परीक्षा में प्राप्त किये गये अंक मान्य करते हुये परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा।

यदि परीक्षार्थी द्वितीय मुख्य परीक्षा में विषय/विषयों में अंक सुधार नही कर पाता है तो उस परिस्थिति में परीक्षार्थी के प्रथम मुख्य परीक्षा के अंक ही मान्य होंगे एवं उसे पुनः अंकसूची जारी नहीं की जायेगी।

(7) परीक्षार्थी ने प्रथम मुख्य परीक्षा में जिन विषयों में परीक्षा आवेदन फॉर्म भरा है द्वितीय मुख्य परीक्षा में भी उन्हीं विषयों में सम्मिलित होने की पात्रता होगी किसी भी परिस्थिति में द्वितीय मुख्य परीक्षा में अपने विषयों में परिवर्तन नहीं कर सकता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि यदि परीक्षार्थी ने प्रथम मुख्य परीक्षा में अतिरिक्त विषय लिया है तो द्वितीय मुख्य परीक्षा में भी उसी विषय को अतिरिक्त विषय के रूप में लेकर सम्मिलित हो सकता है।

(8) द्वितीय मुख्य परीक्षा में परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम तैयार करते समय प्रायोगिक एवं प्रायोजना में प्रथम मुख्य परीक्षा में अर्जित किये गये अंक द्वितीय मुख्य परीक्षा के लिये मान्य किये जायेंगे, परंतु यदि कोई परीक्षार्थी प्रथम मुख्य परीक्षा में प्रायोगिक एवं प्रायोजना परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है या अनुत्तीर्ण रहता है तो ऐसे परीक्षार्थी द्वितीय मुख्य परीक्षा में प्रायोगिक एवं प्रायोजना परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे।

(9) द्वितीय मुख्य परीक्षा में वही कृपांक नीति मान्य होगी जो प्रथम मुख्य परीक्षा में मान्य है।

(10)यदि परीक्षार्थी को प्रथम मुख्य परीक्षा में बोनस अंक की पात्रता है तो द्वितीय मुख्य परीक्षा में भी बोनस अंक की पात्रता होगी परंतु बोनस अंक की पुनर्रावृत्ति नही होगी अर्थात प्रथम मुख्य परीक्षा में जोड़े गये बोनस अंक को घटाने के पश्चात् द्वितीय मुख्य परीक्षा में बोनस अंक जोड़े जायेंगे।

(11) प्रथम मुख्य परीक्षा परिणाम के पश्चात् अस्थायी प्रावीण्य सूची जारी की जायेगी एवं प्रथम मुख्य परीक्षा के पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन के पश्चात स्थायी प्रावीण्य सूची जारी की जायेगी।

(12) प्रथम मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी को अंकसूची जारी की जायेगी तथा द्वितीय मुख्य परीक्षा पश्चात परीक्षार्थी के अंकों में वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति में छात्र से प्रथम परीक्षा की अंकसूची वापस प्राप्त कर द्वितीय मुख्य परीक्षा की अंकसूची दी जायेगी।

(13) अंकसूची के प्रतिपर्ण और द्वितीय टी.आर., द्वितीय मुख्य परीक्षा के पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी होने के पश्चात ही मुद्रित किये जायेंगे परंतु दोनो परीक्षाओं का डाटाबेस सुरक्षित रखा जायेगा। प्रथम एवं द्वितीय मुख्य परीक्षा की अंकसूची में संस्था/केन्द्र के नाम के समक्ष नियमित परीक्षार्थी हेतु अध्ययनरत संस्था का नाम तथा स्वाध्यायी परीक्षार्थी हेतु अग्रेषण संस्था का नाम अंकित किया जायेगा।

(14) द्वितीय मुख्य परीक्षा की अंकसूची मुद्रित करते समय उन विषयों में विशेष चिन्ह (यथा $)का चिन्ह अंकित किया जायेगा जिन विषयों में परीक्षार्थी के अंकों में वृद्धि हुई है।

(15) प्रथम मुख्य परीक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित करने के पश्चात द्वितीय मुख्य परीक्षा जून माह के तृतीय सप्ताह से प्रारंभ की जायेगी। चूंकि द्वितीय मुख्य परीक्षा के प्रारंभ होने के पूर्व प्रथम मुख्य परीक्षा के पुनर्गणना/ पुनर्मूल्यांकन के परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किये जा सकते हैं। अतः प्रथम मुख्य परीक्षा के पुनर्गणना/ पुनर्मूल्यांकन के परीक्षा परिणाम का इंतजार किये बिना परीक्षार्थियों को द्वितीय मुख्य परीक्षा का आवेदन भरना होगा। द्वितीय मुख्य परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात प्रथम मुख्य परीक्षा के पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन के परीक्षा परिणाम घोषित होते है तो परीक्षार्थी के किसी भी अभ्यावेदन या शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।

(16) जो परीक्षार्थी द्वितीय मुख्य परीक्षा में विषय/विषयों में अंक सुधार के लिये सम्मिलित होते है और अंक सुधार कर लेते है या अंकों में सुधार नही होता है तो ऐसे परीक्षार्थी पात्रता के आधार पर नियमानुसार श्रेणी सुधार के लिये पात्र होंगे।

(17) जो परीक्षार्थी द्वितीय मुख्य परीक्षा के पश्चात भी कुछ विषयों में अनुत्तीर्ण रह जाते है तो उन्हें आगामी वर्ष की प्रथम मुख्य परीक्षा एवं द्वितीय मुख्य परीक्षा में वर्तमान नियमों के अनुसार तृतीय एवं चतुर्थ अवसर का लाभ प्राप्त होगा।

(18) प्रथम मुख्य परीक्षा की भाँति द्वितीय मुख्य परीक्षा में भी मुख्य विषयों में प्रश्न–पत्र A,B,C तीन सेट में एवं माईनर विषयों में सिंगल सेट मुद्रित किये जायेंगे।

(19) ऐसे परीक्षार्थी जो इन विनियमों के तहत परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते है, उन्हें मण्डल द्वारा विहित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।

सचिव
छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर